न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 78/2018

अपीलांट

1. पवनी पत्नी अमराराम
2. अमराराम पुत्र पेमाजी जातिगण मेघवाल, निवासीगण बडौद, तहसील देसूरी जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध संख्या 10/18 में पारित आदेश दिनाक 28.09.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी ग्राम सरथुर के खसरा नंबर 639/880, 693/917 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 695 जो सिवायचक भूमि है से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि रेकर्ड में आबादी दर्ज है। किन्तु उक्त आराजी अपीलांट की खातेदारी आराजी है। अपीलांट जमाबंदी में खातेदार दर्ज है। जिससे उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता धारा 251 ए के तहत ही दिया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बिना रास्ते के संबध में जांच किये जैर अपील आदेश पारित किया हैं जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी ग्राम सरथुर के खसरा नंबर 639/880, 693/917 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 695 जो सिवायचक भूमि है से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में आवासीय प्रयोजनार्थ अर्थात आबादी भूमि दर्ज है। जिससे उक्त आराजी पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दिया जाना उचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी ग्राम सरथुर के खसरा नंबर 639/880, 693/917 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 695 जो सिवायचक भूमि है से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2071 से 74 के अनुसार अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 639/880 रकबा 0.17 हैक्टर एवं खसरा नंबर 639/917 रकबा 0.17 हैक्टर नामान्तरकरण संख्या 550 दिनांक 11.12.2015 के द्वारा अपीलांटगण के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ अर्थात आबादी भूमि दर्ज है। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुसार "किसी खातेदार को कृषि कार्य हेतु अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता नही होने पर रास्ता दिये जाने प्रावधान है। जबकि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी भूमि दर्ज है। जिससे उक्त आराजी पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध संख्या 10/18 में पारित आदेश दिनाक 28.09.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक27.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली